कार्यालय नगर परिषद्, पाली (राज.)

–: होडिग्स बोर्ड 20x10 फुट साईज के निलामी शर्ते :–

वर्ष 2017–18 (31.03.2018 तक) हेतु खुली बोली के तहत् होर्डिंग्स बोर्डो की निलामी हेतु निम्न शर्ते :–

1. विज्ञापन होर्डिंग्स बोर्डो की निलामी राजस्थान नगर पालिका अधिनियमो के अंतर्गत समय–समय पर जारी नियमों/उपनियमों/परिपत्रों के अंतर्गत की जावेगी।
2. कोई भी व्यक्ति/फर्म जो भी निलामी में भाग लेना चाहता है वह निलामी शुरू होने से पहले परिषद् में अमानत राशि 1000/– रूपये प्रति होर्डिंग्स बोर्ड की दर से पचास साईडों के 50,000/–रूपये अमानत राशि जमा करवाकर निलामी में भाग ले सकता है। उक्त राशि सम्पूर्ण रूप से बोली समाप्त होने एवं सफल बोलीदाता के द्वारा बोली की 1/4 राशि जमा कराने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
3. निलामी वित्तिय वर्ष 2017–18 के लिए मान्य होगी। सफल बोलीदाता व परिषद की सहमति से उच्चतम बोली में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि कर ठेके की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढाई जा सकेगी जिसका अन्तिम अधिकार आयुक्त/सभापति को होगा।
4. पचास साईडों की अमानत राशि 50,000/– रूपये अग्रिम रूप से नगद/डी.डी. जमा कराने पर ही व्यक्ति/फर्म को निलामी बोली में भाग लेने दिया जायेगा। तथा बोली समाप्ति पर अमानत राशि शर्त सं. 2 के अनुसार लौटा दी जायेगी।
5. पचास साईड विज्ञापन बोर्ड की निलामी बोली समाप्ति के पश्चात् सफल बोलीदाता को मौके पर ही उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि रोकड़/डी.डी. जमा करानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि निलामी बोली के 1 माह के भीतर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा नही कराने पर शेष राशि जमा करानी की अवधि में वृद्धि करने का या जमा राशि जब्त करने का या ठेका निरस्ती की कार्यवाही करने का अधिकार आयुक्त/सभापति को होगा। शेष राशि जमा कराने की अवधि में वृद्धि की स्थिति में शेष राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
6. निलामी बोली अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने के पश्चात् सफल बोलीदाता को स्वीकृत पचास साईड प्लान के अनुसार होर्डिंग्स बोर्ड लगा सकेगा। स्वीकृत साईड प्लान शर्त के विपरीत कार्य करने पर नगर परिषद्, पाली द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी व ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।
7. ठेकेदार के पक्ष में ठेका होने पर एवं राशि जमा कराते ही स्वतः ही उसको ठेके का अधिकार प्राप्त हो जावेगा। उसको अलग से कोई अधिकार प्रत्र नही दिया जावेगा परन्तु ठेकेदार को पहले परिषद् से अनुबंध करना अनिवार्य होगा। ठेका होने के पश्चात् नगर परिषद् सीमा में अन्य व्यक्तियों अथव पूर्व ठेकेदार के विद्युत बोर्ड लगे हुए होने पर संबंधित के विरूद्ध स्वय सक्षम कार्यवाही करने के लिए वर्तमान संवेदक अधिकृत होगा। उसको स्वयं के स्तर पर ऐसा विज्ञापन बोर्ड को हटाने का अधिकार होगा। इस बाबत् परिषद् से ऐसे अवैध विज्ञापन बोर्ड को हटाने की संवेदक अपेक्षा नही करेगा। हालांकि ऐसे अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाने का परिषद् को भी स्वतंत्र अधिकार होगा।
8. जनहित, जनसुरक्षा एवं यातायात आदि सम्बन्धित कोई समस्या आने पर परिषद् किसी भी होर्डिंग्स बोर्ड को तत्काल हटा सकेगी। तथा उसके स्थान पर वैकल्पिक स्थान की मांग करने पर परिषद् द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति का वाद मान्य नही होगा।
9. परिषद् के स्वीकृत प्लान में निर्धारित होर्डिंग्स बोर्ड की निलामी खुली बोली द्वारा होर्डिंग्स साईड सं. 1 से 50 तक एक ही व्यक्ति/फर्म के नाम उच्चतम बोली आने पर स्वीकार की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को निलामी ठेका राशि पर नियमानुसार सेवा कर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
11. परिषद् द्वारा स्वीकृत प्लान में वर्णित 50 स्थलों की निलामी की जा रही है। उक्त स्थान पर होर्डिंग्स बोर्ड लगाने हेतु खुली बोली से साईड ली जा सकती है। सभी मामलों में अंतिम निर्णय परिषद् को होगा।
12. स्वीकृत होर्डिंग्स बोर्ड के ऊपर दूसरा होर्डिंग्स (टावर होर्डिंग्स) लगाने की स्वीकृति आयुक्त/सभापति द्वारा पृथम रूप से दी जावेगी। टावर लगाने पर उस स्थान के होर्डिंग्स बोर्ड की स्वीकृत दर से से 50 प्रतिशत चार्ज अतिरिक्त लिया जावेगा।

13. प्रत्येक होर्डिंग्स बोर्ड पर व्यक्ति/फर्म को अपना नाम, क्रम सं. एवं सम्पर्क सूत्र स्वीकृत साईड बोड के पीछे लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा होर्डिंग्स बोर्ड को परिषद् द्वारा अवैध मानते हुए हटा दिया जायेगा जिसके तमाम हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी उस व्यक्ति/फर्म की होगी।

14. निलामी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा स्थगित करने का अधिकार आयुक्त/सभापति होगा।

15. किसी भी तरह का कानूनी वाद-विवाद, मुकदमा वाद का न्यायिक क्षेत्र केवल पाली ही होगा। तथा किसी भी अन्य व्यक्ति/फर्म के द्वारा कोई वाद मुकदमा करने की स्थिति में समस्त दायित्व ठेकेदार (लाईसेन्सी) का होगा। तथा उसे ही अपने स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। परिषद का कोई दायित्व नही होगा।

16. प्रत्येक बोर्ड की अधिकतम साईज "20x10" फुट की होगी जो भू-तल से 6 फीट ऊँचाई पर तथा प्रत्येक चौराहे-तिराहे पर लगाये जाने वाले होर्डिंग्स बोर्ड भूमि तल से 10 फीट ऊपर लगाना होगा। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर होर्डिंग्स बोर्ड को कम या अधिक ऊँचाई पर लगाने की स्वीकृति परिषद् से लेकर ही लगाई जा सकती है। होर्डिंग्स बोर्ड की ऊँचाई परिषद् द्वारा बदली जा सकती है।

17. स्वीकृत बोर्ड साईड प्लान अनुसार विभिन्न स्थानों पर दिवारों के सहारे लगाना होगा। जहाँ आवश्यकता हो तो एक गाडर अधिक से अधिक 20 डिग्री दीवार से आगे नही होगा। तथा दूसरा गाडर दीवार के सहारे होगा। होर्डिंग्स बोर्ड की वजह से किसी प्रकार की क्षति के लिए स्वयं लाईसेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

18. किसी भी व्यक्ति/फर्म को नगर परिषद् द्वारा स्वीकृत की गई साईडों को निलामी बोली के समय छोड़ने का अधिकार नही होगा, समस्त साईड़े शामिल होगी।

19. किसी भी व्यक्ति/फर्म में नगर परिषद्, पाली की होर्डिंग ठेके की कोई बकाया राशि होने पर वह व्यक्ति/फर्म निलामी बोली में भाग नही ले सकेगा।

20. निलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अपना पैन कार्ड/राशन कार्ड/फर्म भागीदारी का दस्तावेज देना होगा।

21. लोक सभा, विधान सभा या अन्य किसी प्रकार के चुनाव आयोग द्वारा घोषणा होने पर ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए चुनाव के सम्बन्ध में किसी भी साईडों पर पार्टी या उम्मीदवार के बैनर, होर्डिंग्स, कटआउट इत्यादि लगाने की नगर परिषद् द्वारा स्वीकृति (अनुमति) नही दी जायेगी। यदि चुनाव के सम्बन्धित लगा हुआ होडिंग्स बोर्ड पाया गया तो लाईसेन्सी का लाईसेन्स ठेका जब्त कर लिया जावेगा अथवा भविष्य में निलामी बोली में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा।

22. ठेकेदार को दी गई साईडों पर मदीरा एवं अन्य मादक पदार्थ के उपयोग को बढ़ावा देने वाले ऐसे विज्ञापन नही लगा सकेगा।

23. होर्डिंग्स लगाने/हटाने के समय व होर्डिंग्स से किसी प्रकार की दुर्घटना होने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।

24. सफल संवेदक अगर निर्धारित साईडों के अतिरिक्त नवीन साईड़े लगाने संबंध में अगर आवेदन करता है स्वीकृति आयुक्त/सभापति महोदय द्वारा निर्णय करने पर ही अनुमति दी जा सकती है। जिसकी राशी ठेका राशि के अनुपाती के रूप में देय होगी।

25. निलामी शर्तो का स्पष्टीकरण का अधिकार परिषद में निहित होगा। परिषद द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

26. सफल बोलीदाता को परिषद् में 1000/-रूपये का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प इकरारनामा करने हेतु पेश करना होगा।

सभापति
नगर परिषद, पाली

आयुक्त
नगर परिषद, पाली